

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/एनएफआर/47

दिनांक: 28.11.2018

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.
मैट्रो रेल कोलकाता

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 66)


विषय: 2018 के दिनांक 12.09.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 50 के पैरा सं. 3.1 में आशोधन।

2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 50 के पैरा सं. 3.1 में आशोधन का मुद्दा बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन है। सक्षम अधिकारी द्वारा अब उपर्युक्त पैरा को निम्नानुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

“ईएमडी क्षेत्रीय रेलों द्वारा यथा निर्धारित संविदा के कुल मूल्य के 2% पर निर्धारित की जाएगी।”

इसे और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।



(पी.सी.वर्मा)

संयुक्त निदेशक(एनएफआर)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एनएफआर/47

दिनांक: 28.11.2018

प्रतिलिपि प्रेषित: पीएफए, सभी भारतीय रेलों को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


(प्रलवी जोशी)

कृते वित्त आयुक्त
रेलवे बोर्ड